पुलिस अधीक्षक जनपद भदोही

सी.यू.जी. – 9454400307, दूरभाष- 05414-250236, ई-मेल- spsrn-up@nic.in

प्रेस-नोट, जनपद भदोही

दिनांक-20.05.2025

◆थाना ज्ञानपुर पुलिस टीम द्वारा भारी मात्रा में अवैध शराब तस्करी में लिप्त वांछित अभियुक्त ट्रक मालिक को किया गिरफ्तार

◆ पूर्व में व्यापक पैमाने पर अवैध शराब तस्करी में लिप्त 01 अंतर्राज्यीय शराब तस्कर को गिरफ्तार कर,डीसीएम ट्रक वाहन में पंजाब निर्मित कुल- 410 पेटी अंग्रेजी शराब (3690 लीटर) एवं 02 अदद फर्जी नंबर प्लेट एवं 120 अदद मधुमक्खी पालन का खाली डिब्बा किया गया था बरामद

जनपद में कानून व्यवस्था सुदृढ़ रखने के दृष्टिगत श्री अभिमन्यु मांगलिक, पुलिस अधीक्षक भदोही के कुशल निर्देशन में जनपदीय पुलिस द्वारा गैंगस्टर/वांछित/पुरस्कार घोषित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत दिनांक-18.05.2025 को थाना ज्ञानपुर पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 186/2023 धारा 419/420/467/468/471 भादवि 60/63 आबकारी अधि0/ 207 एमवी एक्ट में वांछित अभियुक्त छोटू शर्मा पुत्र स्व0 भूषण शर्मा नि0 सब्दलपुर थाना मखदूमपुर जनपद जहानाबाद (बिहार) उम्र करीब 29 वर्ष को विष्णुपत जिला गया राज्य बिहार से गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही के उपरांत चालान संबंधित माननीय न्यायालय किया गया।

पूर्व की घटना का विवरण

दिनांक-26/27.09.2023 की रात्रि में गोपीगंज- ज्ञानपुर मार्ग पर सिंहपुर नहर पुलिया के पास संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु व वाहनों की चेकिंग के दौरान व्यापक पैमाने पर अवैध शराब तस्करी में लिप्त 01 अंतर्राज्यीय शराब तस्कर सुखदेव सिंह पुत्र करनैल सिंह निवासी ग्राम चूड़चक थाना कलेरकला जनपद गुरूदासपुर, पंजाब (उम्र 50 वर्ष) को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारशुदा शराब तस्कर के कब्जे से एक डीसीएम ट्रक कूट रचित रजिस्ट्रेशन नंबर UP 12 AT 3018 वाहन में कुल- 410 पेटी (3690 लीटर) इंपीरियल ब्लू (IMPERIAL BLUE) पंजाब निर्मित व्हिस्की अवैध अंग्रेजी शराब, 01 अदद मोबाइल फोन, 02 अदद फर्जी नंबर प्लेट, 01 अदद फर्जी ड्राईविंग लाईसेन्स, 120 अदद मधुमक्खी पालन का खाली डिब्बा एवं ₹ 330 नगद बरामद किया गया था ।शराब तस्करी में प्रयुक्त वाहन पर आवश्यकतानुसार अलग-अलग प्रांतों के फर्जी नंबर प्लेट लगाकर पुलिस को चकमा देते थे।बरामदशुदा डीसीएम ट्रक वाहन सहित अवैध शराब की कुल कीमत लगभग 70 लाख रुपये थी। उक्त गिरफ्तारी/बरामदगी के आधार पर अंतर्राज्यीय शराब तस्कर के विरुद्ध थाना ज्ञानपुर पर मु0अ0सं0- 186/2023 व धारा- 420/467/468/471 भा0द0वि0, 60/63 आबकारी एक्ट एवं 207 एमवी एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई। विवेचना से शराब तस्करी में लिप्त डीसीएम ट्रक मालिक छोटू शर्मा उपरोक्त वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम द्वारा लगातार प्रयास की जा रही थी।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का नाम व पता-

छोटू शर्मा पुत्र स्व0 भूषण शर्मा नि0 सब्दलपुर थाना मखदूमपुर जनपद जहानाबाद (बिहार) उम्र करीब 29 वर्ष

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम

1.उ0नि0 प्रभुनाथ शर्मा

2.मुख्य आ0 मगरू यादव

थाना ज्ञानपुर जनपद भदोही